

# विज्ञापित

शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस कार्यालय में आद्यौगिक शिक्षुओं का एक वर्ष के लिए चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओं को प्रशिक्षण एवं भत्ता शिक्षुक अधिनियम 1961 के अंतर्गत देय होगा। ट्रेड वाइज विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	ट्रेड का नाम	शिक्षुओं की संख्या
1	स्टैनो हिंदी	03
2	कारपेंटर	05
3	वैल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक)	02
4	पेंटर	02
5	फिटर	05
6	टरनर	01
7	इलेक्ट्रिशियन	05
8	मोटर मैकेनिक क्लीकल	05
9	डीजल मैकेनिक	06

**नोट:-** शिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार किसी भी संस्थान से पूर्व में अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके उम्मीदवार दूसरी बार प्रशिक्षण लेने के पात्र नहीं हैं।

## आवेदन प्रक्रिया :-

- इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल [www.apprenticeshipindia.gov.in](http://www.apprenticeshipindia.gov.in) पर अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27-02-2023 से 03-03-2023 तक करें। ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार अपना फोटो, दसवीं की अंकतालिका आई.टी.आई. पास की अंकतालिका, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करें व उम्मीदवार का प्रोफाइल आधार वैरिफाईड होना बहुत ही आवश्यक है।
- उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अपना अप्रेंटिसिप प्रोफाइल व उपरोक्त सभी संबंधित दस्तावेज दिनांक 04-03-2023 से 09-03-2023 तक कार्यालय महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, नया बस स्टैण्ड जींद में जमा करवाना होगा।
- निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त/अपूर्ण आवेदन बिना किसी सूचना के रद्द किए जाएंगे।

**चयन प्रक्रिया :-** उम्मीदवार का चयन महाप्रबंधक द्वारा गठित कमेटी / सब कमेटी द्वारा आवेदनों को चैक करने के बाद आई.टी.आई. में प्राप्त प्रतिशत अंकों की मैरिट आधार पर किया जाएगा।

## सामान्य निर्देश :-

- उम्मीदवार का प्रोफाइल आधार वैरिफाईड होना चाहिए।
- उम्मीदवार का नाम/ पिता का नाम / जन्म तिथि पोर्टल पर दसवीं एवं आई.टी.आई. की मार्कशीट पर समान होनी चाहिए।
- पोर्टल पर उम्मीदवार की प्रोफाइल में दसवीं और आई.टी.आई. ट्रेड का विवरण तथा उसकी माता का नाम होना अनिवार्य है।
- चयनित उम्मीदवार की ज्वार्निंग सहायक शिक्षुता सलाहकार जींद द्वारा कोन्ट्रैक्ट को स्वीकार करने के बाद ही प्रदान की जाएगी।
- शिक्षुता प्रशिक्षण कोन्ट्रैक्ट हरियाणा राज्य परिवहन में रोजगार का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता।
- प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद हरियाणा राज्य परिवहन में प्रशिक्षु को नियमित नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है और उम्मीदवार इसके लिए कोई दावा नहीं करेगा।
- उम्मीदवार को समय-समय पर अपनी ई-मेल को चैक करने और चयन प्रक्रिया के दौरान इसे सक्रिय रखने की सलाह दी जाती है।
- आरक्षण शिक्षु अधिनियम 1961 व शिक्षुता नियम 1992 के प्रावधान के अनुसार लागू किया जाएगा। एस.सी./ बी.सी.ए./ वी.सी.बी. के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार को अप्रेंटिसिप पोर्टल पर पंजीकरण के समय इसका विवरण देना होगा। अन्यथा उसे जनरल में विचारा जाएगा।
- चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण के समय कार्यालय द्वारा कोई क्वार्टर / हॉस्टल / फ्री परिवहन सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
- महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन जींद के पास अप्रेंटिसिप विज्ञापित में वर्णित रिक्तियों को घटाने व बढ़ाने का अधिकार है।
- पूर्व में जनवरी 2023 में निकाले गये विज्ञापन को प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जा चुका है तथा जिन अभ्यर्थियों ने जनवरी 2023 में पोर्टल पर अप्लाई किया था व दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाए थे को पुनः पोर्टल पर अप्लाई करना अनिवार्य है तथा विज्ञापन अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर दस्तावेज भी पुनः कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

आदेशानुसार

महाप्रबन्धक

हरियाणा राज्य परिवहन

जीन्द